न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 102/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. जालमसिंह पुत्र स्व. हरिसिंहजी उम्र 39 वर्ष 2. रणजीतसिंह पुत्र स्व. हरिसिंहजी उम्र 37 वर्ष 3. गोपालसिंह पुत्र स्व. हरिसिंहजी उम्र 34 वर्ष तमाम जातिगण राजपूत निवासीगण साण्डेराव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली(राज.)		1 राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली(राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री लक्ष्मण के. चौधरी अपीलांट की ओर से।
सरकारी पैरोकार रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 28.9.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 77(A)/2011 बअनवान राजस्थान सरकार बनाम हरीसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार सुमेरपुर की द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम साण्डेराव के खसरा नम्बर 1085 रकबा 4.09 हैक्टर किस्म जाव सोयम भूमि जो वर्तमान रेकर्ड में खातेदार हरीसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि को खातेदार श्री हरीसिंह व प्रतिवादी संख्या 02 एयरटेल कम्पनी द्वारा बिना संपरिवर्तन कराये मौके पर 400 वर्गमीटर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ काम में लकर टॉवर का निर्माण किया है। जिससे कतिपय प्रावधानो की शर्तो का उल्लंघन हुआ है। अतः उपरोक्त वादग्रस्त क्षेत्रफल भूमि को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित फरमाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किए जाने का आदेश प्रदान किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में प्रतिवादीगण का प्रश्नगत कृत्य कतिपय प्रावधानों की शर्तो का स्पष्टतः उल्लघंन मानते हुए जैर अपील निर्णय दिनांक 05.06.2015 द्वारा वादग्रस्त आराजी क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर भूमि को सिवायचक घोषित करते हुए यह भूमि कब्जा सरकार लिए जाने के आदेश प्रदान किये। जिससे व्यथित होकर यह अपील हाजा न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपीलांट के पिता अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 01 थे, जिनका देहान्त दिनांक 13.01.2015 को हो गया था। इस सम्बन्ध में हाजा न्यायालय की पत्रावली में मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। हाजा न्यायालय में उक्त अपील मृतक के कायम मुकाम द्वारा प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 05.06.2015 को निर्णय पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी हरीसिंह की मृत्यु दिनांक 13.01.2015 को हो गई थी। तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा निर्णय दिनांक 05.06.2015 तक कानूनन कायम मुकामों को रेकर्ड पर लाने हेतु कोई आवेदन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.06.2015 में पक्षकार को उपस्थित बताया गया एवं यह लिखा गया कि हमने पक्षकारों को सुना जबकि प्रतिवादी संख्या 1 हरीसिंह का देहान्त निर्णय से पूर्व दिनांक 13.01.2015 को हो चुका था। अधीनस्थ न्यायालय में सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार वाद–पत्र में वादी की ओर से पटवारी हल्का की कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। पटवारी हल्का के पत्रावली पर कोई बयान नहीं लिये गय है। केवल मात्र आई.एल.आर. की मौका रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया है। फर्द मौका दिनांक 22.08.2011 में खसरे के दक्षिणी–पूर्वी कोने–भाग पर एयरटेल कम्पनी का टॉवर बना हुआ पाया गया जिसमें मौतबिरान दुदाराम एवं जगदीश को प्रकट किया है एवं आई.एल.आर की रिपोर्ट दिनांक 05.06.2015 में उक्त खसरे के मध्य से पश्चिमी दिशा में 80 मीटर की दूरी पर एयरटेल कम्पनी टॉवर लगाना बताया गया है जो दोनो राजस्व कर्मचारियों की रिपोर्ट विरोधाभासी है। ऐसी स्थिति में उक्त वादग्रस्त खसरें के मौके की वास्तविक वस्तुस्थिति को रेकर्ड पर नहीं लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी की मृत्यु की स्थिति में उनके कायम मुकामों को बिना सुने ही एकपक्षीय निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय खारिज फरमावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी हरीसिंह द्वारा कृषि भूमि में बिना सक्षम अनुमति व संपरिवर्तन कराये ही मौके पर एयरटेल कम्पनी का मोबाईल –टॉवर लगाकर अकृषिक अर्थात वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया था। जिससे कतिपय प्रावधानों की शर्तो का उल्लंघन हुआ है। तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिर्पोट के अनुसार "टॉवर के चारों तरफ 400 वर्गमीटर भूमि को घेरे कर कॉटों की बाड कर रखी है। जिसमें एक जनरेटर एवंम एक कमरा बना रखा है।" की रिर्पोट प्राप्त हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार सुमेरपुर की द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम साण्डेराव के खसरा नम्बर 1085 रकबा 4.09 हैक्टर किस्म जाव सोयम भूमि जो वर्तमान रेकर्ड में खातेदार हरीसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि को खातेदार श्री हरीसिंह व प्रतिवादी संख्या 02 एयरटेल कम्पनी द्वारा बिना संपरिवर्तन कराये मौके पर 400 वर्गमीटर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ काम में लेकर टॉवर का निर्माण किया है। जिससे कतिपय प्रावधानो की शर्तो का उल्लंघन हुआ है। अतः उपरोक्त वादग्रस्त क्षेत्रफल भूमि को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित फरमाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किए जाने का आदेश प्रदान किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में प्रतिवादीगण का प्रश्नगत कृत्य कतिपय प्रावधानों की शर्तो का स्पष्टतः उल्लघंन मानते हुए जैर अपील निर्णय दिनांक 05.06.2015 द्वारा वादग्रस्त आराजी क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर भूमि को सिवायचक घोषित करते हुए यह भूमि कब्जा सरकार लिए जाने के आदेश प्रदान किये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 01 हरीसिंह जिसका देहान्त दिनांक 13.01.2015 को हो गया था। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 01 के मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति हाजा न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण जो कि तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 77(A)/2011 में दिनांक 05.06.2015 को जैर अपील निर्णय पारित हुआ है। दिनांक 13.01.2015 से दिनांक 05.06.2015 के मध्य तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी हरीसिंह के कायम मुकामों को रेकर्ड पर लिये जाने से सम्बन्धित कोई कारवाई नहीं की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी हरीसिंह की मृत्यु के पश्चात उसके कायम मुकामो को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अब हस्तगत प्रकरण में यह कानूनी बिन्दु उद्भूत होता है कि क्या मृतक पक्षकार के विरूद्ध दावा निर्णित किया जा सकता है अथवा नहीं? इस सम्बन्ध में ए0आई0आर0 1932 Sind 220 पेज 1932 में यह प्रतिपादित किया कि "Civil P.C. (1908), O 22 - Applicability - Suit or appeal must be pending. Order 22 applies to joinder of legal reprentatives of a person who is properly on the record and

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

dies pending the suit or appeal as the case may be, but not the case where person is dead long before suit or appeal इसी प्रकार ए0आई0आर0 1946 Sind 20 पेज 1945 में यह प्रतिपादित किया कि "Civil P.C. (1908), O 1 R 10 O. 22 Rr 4, 9 - defendant dead before filling suit - Court cannot grant application under O. 1 R. 10 or O. 22. Rr. 4 and 9" इसी प्रकार ए0आई0आर0 1964 MYSURE पेज 293 में यह प्रतिपादित किया कि "Civil P.C. (1908), S. 151, O. 22 R. 4, O. 6 R. 17 - Suit against dead person - No amendment for substitution of another person will be allowed - Suit is a nullity" इसी प्रकार के सिद्धान्त ए0आई0आर0 1964 पेज 215, ए0आई0आर0 1989 पेज 43, आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 189, आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 873 में प्रतिपादित किए गए है। उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मृतक पक्षकार के विरूद्ध पारित किया गया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.06.2015 अपास्त किया जाता है। एवं प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का समुचित विवेचन किया जाकर, एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर गुणवागुण पर निर्णय पारित करे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही